रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564] [नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1991/आश्विन 8, 1913
No. 564] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1991/ASVINA 8, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1991

का. आ. 660(अ) केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश, सं. का.आ. 84(अ) दिनांक 11 फरवरी, 1991 का निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में :—

क्रम सं. 1 और 2 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	अधिकतम कीमत (रु. प्रति किलोग्राम)
"1.	एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट	2760.00
2.	एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट	2642.00
3.	एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट	4313.00"

[सं. 25/22/37-पी.आई.-1]

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मुख्य आदेश भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3(ii) दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 में भारत सरकार उद्योग मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) का.आ. 1208(अ) दिनांक 28-11-1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके बाद निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था ।

(1) सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 84(अ) दिनांक 11-2-1991 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3(ii) दिनांक 11-2-1991

MINITRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1991

S.O. 660(E):—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum and Chemicals (Departments of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 84(E) dated, the 11th February, 1991, namely:—

In the table below the said Order, for the serial number 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Maximum Price (Rs. per k.g.)
(1)	(2)	(3)
"1.	Erythromycin Estolate	2760.00
2.	Erythromycin Stearate	2642.00
3.	Erythromycin Ethyl Succinate	4313.00"

[No. 25/22/87-PI-I]

VINOD VAISH, Jt. Secy.

NOTE:- The principal order was published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated, the 28th December, 1988 vide Government of India Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O 1208(E) dated 28-12-1988 and was subsequently amended by:-

(i) Government Notification No. S.O. 84(E) dated 11-2-1991 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3(ii) dated 11-2-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991